



न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.

/2017 निगरानी

III/निगरानी/सिंगरौली/28/10/2017/2968

महेश प्रताप सिंह पुत्र कृष्णप्रताप सिंह

निवासी ग्राम पिड़रवाह तहसील व जिला

सिंगरौली म0प्र0

— आवेदक

श्री S.P. Dhawad P.  
द्वारा आज दि 28/08/17 को  
प्रस्तुत

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

— अनावेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-8-17  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959  
न्यायालय नायव तहसीलदार सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्र.क.  
84/अ-6/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2008 के  
विरुद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य:-

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, ग्राम पिड़रवाह तहसील व जिला सिंगरौली के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा नायव तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 89 के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण क्रमांक 84/अ-6/2007-92 पर पंजीबद्ध किया गया। विधिवत उद्योषणा जारी की गई आपत्तियां आहुत की गई समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं हुई प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पिड़रवाह तहसील सिंगरौली की भूमि पुराना सर्वे नं. 18/1 मिन रकवा 20.71 एकड़ के भूमिस्वामी अभिलेख में दर्ज है। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया है कि आवेदक का नाम वर्ष 1982-83 से वर्ष 1986-87 तक एवं नकल खसरा वर्ष

मेहरा/२११७

69

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक एम.निग. सिंगरौली / श.रा. / २०१७ / २९६८

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
०६/२/१९	<p>इस प्रकरण में दिनांक <u>२५/१/१८</u> को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी <u>नामन व हसीनदार सिंगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>८५/अ-६/२००७-०८</u> में पारित आदेश दिनांक <u>२६/३/२००८</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू०राजस्व संहिता में दिनांक २५/०९/२०१८ को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४ (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सिंगरौली</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>२९/५/१९</u> को कलेक्टर जिला <u>सिंगरौली</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>सदस्य <u>६/२/१९</u></p>